



गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)

GAIL (India) Limited

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, इंडिया
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAJIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE: +91 11 26182955
फैक्स/FAX: +91 11 26185941
ई-मेल/E-mail: info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट./2019

अक्टूबर 22, 2019

1. लिस्टिंग विभाग

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल,
प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

2. लिस्टिंग विभाग,

बीएसई लिमिटेड
मंजिल 1, फिरोज़ जीजीभाँय टॉवर्स,
दलाल स्ट्रीट,
मुंबई-400001

विषय: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 ("सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम"), के विनियम 7 (2), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015, के विनियम 30 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के सभी अन्य प्रयोज्य प्रावधानों एवं उसके अधीन प्रवृत्त अन्य सभी नियमों व विनियमों के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अधिग्रहण / निपटान का प्रकटन

प्रिय महोदय/महोदया,

यह भारत सरकार के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ("एएमसी") द्वारा प्रारंभ की गई 'भारत 22 ईटीएफ' योजना के 'फर्दर फंड ऑफर' के संदर्भ में है। भारत सरकार और एएमसी के मध्य समझौते के अनुसार, फर्दर फंड ऑफर की आय का उपयोग सरकार की भारत 22 ईटीएफ की अंतर्निहित कंपनियों के शेयरों की खरीद के लिए किया जाएगा। हमारी कंपनी भारत 22 ईटीएफ का भाग बनने वाली अंतर्निहित कंपनियों का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त समझौते के भाग के रूप में, हमारी कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यवाहक मंत्रालय द्वारा भारत 22 ईटीएफ योजना के यूनिट धारकों के लाभ के लिए भारत 22 ईटीएफ योजना और एएमसी को हस्तांतरित की गई है और भारत 22 ईटीएफ योजना अपने यूनिट धारकों को भारत 22 ईटीएफ योजना की इकाइयों का निर्माण और आवंटन करेगी।

यह सूचना सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम के विनियम 7(2), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015, के विनियम 30 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के सभी अन्य लागू प्रावधानों एवं उसमें लागू नियमों व कानूनों के अनुसार उपलब्ध कराई गई है।

सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम के विनियम 7(2) की अपेक्षानुसार, हम इस पत्र के साथ "फॉर्म सी" में शेयरों के विक्रय की उपरोक्त अधिसूचना संलग्न कर रहे हैं (अर्थात् सेबी द्वारा अधिसूचित सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम के विनियम 7(2) के अंतर्गत संबंधित प्रारूप)।

यह पत्र स्टॉक एक्सचेंज की सूचना और रिकॉर्ड के लिए अभिप्रेत है।

भवदीय,

अमित कुंठ

(ए. के. झा)

कंपनी सचिव

संलग्नक: उपरोक्त के अनुसार

प्रति :

1. ड्यूश बैंक ए जी, फिलिआले मुंबई
टीएसएस एण्ड ग्लोबल इक्विटी सर्विसेस
द कैपिटल, 14वीं मंजिल,
सी-70, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई-400051

ध्यानाकर्षण- सुश्री अपर्णा सालुंके

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>नाम: भारत के राष्ट्रपति (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से कार्यशील)</p> <p>पैन: N/A</p> <p>सीआईन: N/A</p> <p>पता: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 (भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक), शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001</p> <p>फोन न. 011-23074369</p>	प्रवर्तक	इक्विटी शेयर्स	2354058092 इक्विटी शेयर्स 52.19%	इक्विटी शेयर्स	19610227	रु.2510703246 (अर्थात् रु.[10] प्रत्येक अंकित मूल्य के 19610227 शेयर)	विक्रय	इक्विटी शेयर्स	2334447865 51.76%	10.10.19	10.10.19	21.10.19	निष्क्रिय बाजार शेयरों की बिक्री

प्रवर्तक, किसी सूचीबद्ध कंपनी के कार्मिक या निदेशक और विनियम 6 (2) में उल्लिखितानुसार ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग का विवरण

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (अनुबंध, भावी सौदा या विकल्प आदि को निर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था
अनुबंध का प्रकार	अनुबंध विनिर्देश	क्रय		विक्रय		
		कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट का आकार)	कल्पित मूल्य	इकाइयों की संख्या (अनुबंध * लॉट का आकार)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ए के झा
कंपनी सचिव

दिनांक: 22.10.2019

स्थान: नई दिल्ली